

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 5/स्वा.का.पु./2019/197

दिनांक : 14/2/19

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.142 पार्ट 5/स्वा.का.पु./2019/97 दिनांक 21.01.19 जिसके द्वारा श्री राजकुमार शर्मा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतन श्रृंखला पे-बैंड 9300-34800 ग्रेड-पे 3600/- स्वीकृत की गई थी को नियम विरुद्ध होने के कारण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 5/स्वा.का.पु./2019/197

दिनांक : 14/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को उनके पत्रांक 1231 दिनांक 11.09.18 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि श्री

3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकुमार शर्मा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पे-बैंड 9300-34800 ग्रेड-पे 3600/- स्वीकृत योग्य नहीं है। अतः संशोधित प्रस्ताव भेजते हुये नियम विरुद्ध प्रस्ताव भेजने के लिये दायित्व का निर्धारण कर सूचित करने का श्रम करे।

गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)

4. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

6. Upload on Website

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर